बागवानी क्षेत्र में आधुनिक राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय तकनीकों के प्रोत्साहन हेतू प्लान योजना

विभाग अब उद्यान क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय तकनीकों के स्थानान्तरण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग प्राप्त कर रहा है ताकि उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि हो सके जिसके लिए यह प्लान स्कीम है।

i) विभाग के लंबी अवधि के उदेश्य

a) राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय उद्यान तकनीकी द्वारा बदलाव

b) उपयोगी नवीनतम तकनीकों का अध्ययन एवं आयात

c) नवीनतम मार्केट तन्त्र स्थापित करना

ii) विभाग के मध्यम अवधि के उदेश्य (पांच वर्ष)

a) उद्यान फसलों में गुणवत्ता तथा उत्पादकता के अन्तर को कम करना

b) किसानों को अच्छे पौधे उपलब्ध कराना

c) राज्य में नई किस्मां को प्रारम्भ करना

d) फसल कटाई उपरान्त होने वाले नुकसानों को कम से कम करना

iii) वार्षिक उदेश्य एवं संभावित असर

a) सरकार एवं किसानों के खेतों में तकनीकी का प्रदर्शन करना

b) फसल अनुसार विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करना

c) स्रकारी नर्सरियों पर गुणवत्ता के मानदण्डों का विश्लेषण करना

d) प्रति एकड़ जमीन से राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय तकनीकी के प्रयोग से अधिक उत्पादन एवं आय प्राप्त करना

e) किसान समूह तथा सकल मार्केटिंग को प्रोत्साहित करना

f) किसानों में नई तकनीकी के प्रयोग के लिए जागृति पैदा करना

iv) रणनीति

राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय तकनीको के आयात, प्रयोग, फसल कटाई प्रबन्धन संबंधी तकनीक तथा मार्केट तन्त्र को स्थापित करना तथा इससे संबंधित नई परियोजनाएं विकसित करना।

वांछित आबंटन :

वर्ष 2015–16 के लिए रू0 1046.00 लाख की राज्य सरकार से आवश्यकता है।

v) गतिविधि/योजना के प्रारम्भ होने की स्थिति में स्कीम को वापिस लेना

इस स्कीम से विभाग का अमला, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक, नई राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय तकनीकी सीख कर उसे हरियाणा की भूगोलिक परिस्थितियों में लागू करने के प्रयास एवं प्रदर्शन कर सकेंगे।

vi) स्कीम बन्द करने की स्थिति में नगदी प्रवाह की आवश्यकता

वेतन के लिए प्रत्येक माह धनराशि की आवश्यकता होगी जिसके लिए साल के प्रारम्भ में ही एक मुश्त स्वीकृति वांछित होगी। अन्य कार्यों के लिए बजट की आवश्यकता होगी और जिसके लिए स्थिति अनुसार स्वीकृति वांछित होगी।

vii) रिपोर्टिंग प्रणाली/प्रारूप

सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में जब–जब जरूरत होगी रिपोर्ट भेजी जायेगी। यद्यपि बजट उपयोग संबंधी रिपोर्ट ओन–लाईन उपलब्ध होगी।

viii) आन्तरिक/तृतीय पक्ष मुल्यांकन विधि

यह स्कीम अमले के वेतन तथा ढांचे के विकास के लिए है। आन्तरिक आडिट विभाग द्वारा किया जायेगा तथा स्कीम का आडिट प्रधान महालेखाकार द्वारा किया जायेगा।